यह निरीक्षण प्रतिवेदन, **अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0, लो0 नि0 वि0, कीर्तिनगर** के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0, लो0 नि0 वि0, कीर्तिनगर** के माह 06/2018 से 11/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री संदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 09/12/2020 से 18/12/2020 तक श्री वी॰ पी॰ सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री शरत श्रीवास्तव व श्री एस के गुप्ता साहयक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सलीम खान वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 20/06/2018 से दिनांक 27/06/2018 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 1/2014 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2018 से 11/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः पी एम जी एस वाई योजना के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, पूर्ण जिला –टिहरी के अंतर्गत विकास खंड देवप्रयाग व कीर्तिनगर है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2017-18		-	124.50	119.02	1607.34	1111.81		
2018-19		-	191.05	189.70	2663.03	1655.73		
2019-20		-	195.66	191.25	4164.77	3623.82		
2020-21 (11/20 तक)		-	146.82	142.55	3313.90	1802.77		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत (-) अधिक्य (+)
2017-18	पी एम जी एस वाई		1479.30	1017.97	
2018-19	,,		1905.65	1522.21	
2019-20	,,		3756.00	3399.06	
2020-21	,,		3092.75	1780.85	

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई की श्रेणी "A" है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1) सचिव , उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास विभाग।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी एम जी एस वाई उत्तराखंड।

तकनीकी संवर्ग मे:

(3) मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष) (4) मुख्य अभियंता, गड़वाल क्षेत्र,

(5) मुख्य अभियंता, कुमायु हल्द्वानी, (6) अधीक्षण अभियंता, मसूरी

(7) अधिशासी अभियंता (8) सहायक अभियंता

(9) कनिष्ठ अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वित्त नियंत्रक (2) खंडीय लेखाकार (3) सहायक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6)प्रधान सहायक (7) वरिष्ठ सहायक ,(8) कनिष्ठ साहयक ।

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0, लो0 नि0 वि0, कीर्तिनगर** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0, लो0 नि0 वि0, कीर्तिनगर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 3/2020एवम 03/2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। तथा झिनझीनीसैंड से जाखेड़ मोटर मार्ग स्टेज -1 एवम 2 मोटर मार्ग का विस्तृत विश्लेषण किया गया जिसका प्रतिचयन लेखापरीक्षा अवधि मे अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में निरीक्षण नहीं किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी नहीं की गई।
5. फार्म 51: माह 10/2020 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (प्रेसित नहीं किया गया है) ।

   भाग प्रथमः शून्य

   भाग द्वितीयः शून्य

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 11/2020 के अन्त में (` में)

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिमः शून्य

   (ख) सामग्री क्रयः शून्य

   (ग) नगद परिशोधनः शून्य

   (घ) निक्षेपः शून्य

   (ङ) भण्डारः शून्य

भाग-II (ब)

प्रस्तर-1: बिना भूमि अधिग्रहण के ` 519.47 लाख धनराशि स्टेज-1 मे एवं ` 237.64 लाख स्टेज-2 के निर्माण कार्य पर व्यय किए जाने का प्रकरण।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड -06 के प्रावधान नियम 378 के अनुसार बिना भूमि अधिग्रहण किए हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए इसी प्रकार पी एम जी एस वाई दिशा निर्देश पुस्तिका 2015 के नियम 6.12 व 9.3 के अनुसार भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखंड शासन देहरादून के पत्र संख्या 311 / GOI/xi/16/56(08)2014 दिनांक 21/7/2016 द्वारा झिनझीनीसैंड से जाखेड़ मोटर मार्ग स्टेज -1 लंबाई 10.300 किमी के नव निर्माण कार्य हेतु ` 662.93 लाख एवं पाँच वर्ष अनुरक्षण हेतु ` 75.39 लाख की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकर्ति प्राप्त हुई है इस के अतिरिक्त ` 59.73 लाख राशि का प्रावधान भूमि अधिग्रहण व वनीकरण के लिए किया गया था दिनांक 28/10/2020 को ` 57.79 का प्रस्ताव बनाकर राशि की मांग की गयी थी इस राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना था लेखापरीक्षा तिथि तक कोई राशि व्यय नहीं हुई थी । यह निर्माण कार्य दिनांक 1/1/18 को प्रारम्भ हुआ एवं दिनांक 30/6/2019 तक पूर्ण किया जाना था परंतु अभी तक कार्य अपूर्ण है। लेखापरीक्षा मे पाया गया कि- स्वीकृत राशि ` 662.93 लाख के सापेक्ष ` 519.47 लाख राशि बिना भूमि अधिग्रहण किए कार्य पर व्यय कर दिया गया था। आगे लेखापरीक्षा मे पाया गया कि स्टेज -2 का कार्य दिनांक 15/7/2019 को प्रारम्भ कर दिया गया था व ` 237.64 लाख राशि व्यय की गयी थी अनुबंध के अनुसार दिनांक 14/7/2020 को कार्य पूर्ण किया जाना था। अर्थात पी एम जी एस वाई के दिशा निर्देशों के अनुसार स्टेज -1 के निर्माण के बाद 2 वर्षो / 2 बरसात का समय बीत जाने के बाद ही स्टेज -2 के कार्य किए जाने चाहिए ताकि जो रोड कटिंग की गयी थी वह पूरी तरह से मजबूत हो जाए परंतु उपरोक्त कार्य मे स्टेज-1 के कार्य पूर्ण हुए बिना ही स्टेज-2 के कार्य प्रारम्भ कर दिये गए थे जो कि उपरोक्त नियमो के विरुद्ध था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर मे बताया गया कि – प्रतिकर प्रस्ताव पर शासन द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकर्ति जारी न होने के कारण प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया है आपसी सहमति के आधार पर कार्य कराया गया है, 2 बरसात का न्यूनतम समय स्टेज-1 व स्टेज-2 के मध्य नहीं देने के संबंध मे बताया कि- यह निर्णय खंड स्तर पर नहीं लिया जाता है मुख्य अभियंता स्तर से अनुबंध गठित कर निर्माण कार्य का निर्देश प्राप्त होता है। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि भूमि अधिग्रहण के बिना निर्माण किया जाना उपरोक्त नियम के विरुद्ध है एवं स्टेज 1 व 2 के मध्य न्यूनतम समय का पालन किया जाना मुख्य अभियंता व अधिशासी अभियंता की ज़िम्मेदारी है। अत: बिना भूमि अधिग्रहण के ` 519.47 लाख धनराशि स्टेज-1 मे एवं ` 237.64 लाख स्टेज -2 के निर्माण कार्य पर व्यय किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग- II (ब)

प्रस्तर- 2: मोटर मार्ग के निर्माण में ` 83.22 लाख का परिहार्य व्यय।

ग्रामीण विकास विभाग,भारत सरकार के पत्र संख्या- पी0/17024/24/2017-RC(FMS-355978) दिनांक-25.04.2018 एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन, देहरादून के पत्रांक-329/पी-1-34 (Phase-XVI/यू0आर0आर0डी0ए0/18 दिनांक- 14.05.2018 के द्वारा विकास खंड कीर्तिनगर में सिल्काखाल से सरक्याना, 12.825 किमी0 लम्बे मोटर मार्ग के स्टेज-II के निर्माण के लिए ` 764.38 लाख (निर्माण कार्य हेतु ` 666.16 लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण हेतु रु0 98.22 लाख) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु दिनांक 31.01.2018 को मैसर्स रघुबीर सिंह सजवान के साथ अनुबंध गठित किया गया था। गठित अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य आरम्भ करने की तिथि 05.11.2018 तथा निर्माण कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 04.02.2020 थी। लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त मार्ग हेतु तैयार डी0पी0आर0 में मार्ग की CBR value 7-9 range में पायी गयी तथा Cumulative ESAL Application 60,000 से 1,00,000 की range में पायी गयी जिसके अनुसार Pavement Design Catalogues IRC-SP72 में दिये गये चार्ट के अनुसार Gravel base की Total thickness 225mm (G.S.B.) पायी गयी। आगे लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग का निर्माण 125mm GSB+75mm WBM G-2+75mm WBM G-3 की thickness के साथ कराया गया तथा 125mm GSB पर ` 74,43,283.34, 75mm WBM G-2 पर ` 94,65,708.92 और 75mm WBM G-3 पर ` 97,06,815.36 का व्यय किया गया। यदि इकाई द्वारा 150mm GSB+75mmG-3की thickness के साथ निर्माण कार्य कराया जाता तो मोटर मार्ग को आवश्यक thickness भी प्राप्त हो जाती और इकाई द्वारा अतिरिक्त thickness (G-2) पर किए गये ` 83,21,986.00 के अनावश्यक व्यय से बचा जा सकता था।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे बताया गया कि उक्त मोटर मार्ग पर Total Thickness 225mm Base thickness है जिसको IRC-SP72:2015 के अनुसार Design chart के अनुसार minimum base thickness 100mm दर्शाया गया है। चूंकि G-3 75mm Design Thickness से कम है, तो minimum thickness को उसके नीचे WBM(G-2) प्रस्तावित किया गया और शेष design Gravel Thickness को परिवर्तित कर व प्राप्त GSB Thickness का 25 प्रतिशत अतिरिक्त संलग्न किया गया। अतः उक्त प्रावधान मानक design के अनुसार किए गये हैं और किसी प्रकार का अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि यदि इकाई द्वारा 150mm GSB एवं 75mm G-3 की thickness के साथ निर्माण कार्य कराया जाता तो मोटर मार्ग को आवश्यक thickness भी प्राप्त हो जाती और इकाई द्वारा अतिरिक्त thickness (G-2) पर किए गये ` 83,21,986.00 के अनावश्यक व्यय से बचा जा सकता था।

इस प्रकार मोटर मार्ग के निर्माण मे ` 83.22 लाख के परिहार्य व्यय का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-3: ठेकेदार को अनियमित भुगतान ` 6,30,490/- एवं अनुबंध की शर्तो के अनुसार ठेकेदार से ` 4.3 लाख की वसूली न कर, अदेय लाभ दिया जाना।

वित्तीय नियमानुसार प्रावधानित है कि सामान्यतः ठेकेदारों को अग्रिम राशियों का भुगतान वर्जित है एवं केवल निष्पादित कार्यों के सापेक्ष ही भुगतान किए जाने चाहिए।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज –XVI के अंतर्गत जनपद गढ़वाल मे पैकेज संख्या UT-11-80 के अंतर्गत खोला(थापली) से मुसमोला मोटर मार्ग स्टेज-I के कार्य हेतु (लंबाई 5.400 किमी०) प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन, देहरादून के पत्रांक 329/पी1-34(Phase-XVI)/ यूआरआरडीए/18 दिनांक 14.05.2018 द्वारा निर्माण कार्यो हेतु ` 476.82 लाख एवं अनुरक्षण मद हेतु ` 20.34 लाख की प्रदान की गयी। जिसमे 5.95 मी0 चौड़ाई मे पहाड़ कटान कार्य, आबादी वाले भागो मे पक्की नाली एवं शेष भागो मे कच्ची नाली का निर्माण, पैरपिटों का निर्माण एवं वायरक्रेट आदि का प्रावधान किया गया था। जिससे संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि:-

कार्य निष्पादन हेतु विभाग द्वारा निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम निविदाता मैसर्स श्री दुर्गा कंस्ट्रक्सन के साथ ` 411.56 लाख (निर्माण ` 403.37 लाख + अनुरक्षण ` 8.19 लाख) लागत का अनुबन्ध संख्या 84/UT-11-80(I)URRDA/2018-19 दिनांक: 26.10.2018 गठित किया। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 01.11.2018 व समाप्ति की तिथि 31.01.2020 थी। किन्तु कार्य पर अतिथि तक ` 147.38 लाख का व्यय किए जाने के बावजूद कार्य अभी तक भी पूर्ण नही किया गया था। उक्त कार्य के 05वे चालू देयक के अनुसार hill Side Cutting हेतु ` 6,30,490.00 का भुगतान किया गया, जबकि माप-पुस्तिका संख्या 62/L मे उससे संबन्धित कोई भी प्राविष्टि नही की गयी थी, न ही माप/कार्य की मात्रा का कोई उल्लेख किया गया था। जिससे प्रतीत होता है कि इस प्रकार बिना कार्य किए ही ठेकेदार को उक्त मद मे ` 6,30,490/ का भुगतान कर दिया गया। साथ ही **अनुबन्ध की शर्तें (स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1) के अनुसार ठेकेदार कार्य प्रारम्भ करने से लेकर समापन तक** कार्य के नुकसान या क्षति, व्यक्तिगत क्षति और मशीनरी एवं उपकरण आदि की क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए नियोक्ता तथा ठेकेदार के संयुक्त नाम से अपनी लागत पर बीमा कवर कराएगा। यदि ठेकेदार बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने में विफल होता है तो ठेकेदार के देयकों से (i) अनुबन्धित धनराशि का 0.50 प्रतिशत कार्यों, प्लान्ट एवं सामग्री, (ii) अनुबन्धित धनराशि का 0.25 प्रतिशत उपकरण के नुकसान या क्षति एवं (iii) अनुबन्धित धनराशि का 0.25 प्रतिशत अन्य परिसम्पत्तियों हेतु कटौती की जानी चाहिए।

किन्तु अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, लोक निर्माण खण्ड, कीर्तिनगर के अंतर्गत किए जा रहे ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य खोला थापली से मुसमोला मोटर मार्ग स्टेज-I के निर्माण कार्य से संबन्धित अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि उक्त कार्य हेतु गठित किए गए अनुबन्ध की शर्त (स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1) के अनुसार ठेकेदार द्वारा न तो बीमा पॉलिसी उपलब्ध

कराई गयी एवं न ही विभाग द्वारा अनुबन्ध के अनुरुप 01 प्रतिशत की कटौती की गई। जबकि उक्त कार्य की अनुबन्धित धनराशि ` 411.56 लाख के सापेक्ष 01 प्रतिशत इंशोरेन्स की धनराशि ` **4.11 लाख** की कटौती की जानी चाहिए थी, जो नही की गयी**,** जिससे प्रतीत होता है कि नियमानुसार कटौती न कर ठेकेदार को ` 4.11 लाख का लाभ दिया गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मद के माप वाले कालम मे प्रविष्टि अंकित है। परन्तु योग वाले कालम मे त्रुटिवश अंकित नही की गयी है। जो की अंकित कर ली गयी है। इन्शुरेंस के संबंध मे भी अवगत कराया गया कि ठेकेदार को इस संबंध मे पूर्व मे भी पत्र लिखा गया था। पुन: इस संबंध मे ठेकेदार को पत्र लिखा जाएगा। यदि ठेकेदार द्वारा इन्शुरेंस उपलब्ध नही कराया जाता तो आगामी चालू देयक से कटौती कर ली जाएगी।

खंड का उत्तर लेखापरीक्षा मे मान्य नही है उक्त मद की मांप वाले कालम मे कोई प्रविष्टि नही थी। न ही योग प्रविष्टि किए जाने के बाद इस सम्बंध मे कोई अभिलेख/paychart सम्प्रेक्षा को जांच हेतु उपलब्ध करवाया गया। साथ ही ठेकेदार द्वारा इन्शुरेंस उपलब्ध न करने पर नियमानुसार उसके देयक से अनुबंधित धनराशि के 1 प्रतिशत अर्थात ` 4.11 लाख की कटौती कर विभाग द्वारा इन्शुरेस कराया जाना चाहिए था। ताकि साइट पर होने वाली किसी भी हानि/क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके जो अभी तक नही कराया गया था।

अत: ठेकेदार को अनियमित भुगतान ` 6,30,490/- एवं अनुबंध की शर्तो के अनुसार ठेकेदार से ` 4.3 लाख की वसूली न कर अदेय लाभ दिये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- II(ब)

प्रस्तर-4: समय पूर्व पदोन्नति दिये जाने के कारण कार्मिकों को ₹ 1.96 लाख का वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान किया जाना।

उत्तराखंड, लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2014 के नियम-5 (ख) के अनुसार अपर सहायक अभियन्ता के पद पर भर्ती मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ अभियन्ताओं (सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) में से, जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाएगी। उक्त पद पर पदोन्नति हेतु आवश्यक कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में 3 वर्ष की अनिवार्य सेवा की गणना चयन वर्ष (प्रतिवर्ष 01 जुलाई से 30 जून) के प्रथम दिवस से की जानी है। कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि, कीर्तिनगर में कार्यरत कार्मिकों की सेवा पुस्तिकाओं की जांच में पाया गया कि कार्यालय में कार्यरत सभी 06 अपर सहायक अभियन्ताओं की सेवा पुस्तिकाओं में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार उक्त सभी कार्मिकों को उनकी नियुक्ति तिथि से 03 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपर सहायक अभियन्ता का नॉन फंक्शनल वेतनमान अनुमन्य किया गया है। जबकि अपर सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्ति हेतु 03 वर्ष की संतोषजनक सेवा की गणना चयन वर्ष के प्रथम दिवस से की जानी है। इसके अतिरिक्त संलग्न तालिका-1 के क्रम संख्या- 01 से 03 पर अंकित कनिष्ठ अभियन्ताओं की सिंचाई विभाग में की गयी पूर्व सेवाओं की भी पदोन्नति हेतु गणना की गयी थी। आगे जांच में पाया गया कि उक्त कार्मिकों के नियुक्ति संबंधी कार्यालय ज्ञाप में भी पूर्व सेवाओं का लाभ केवल सेवानैवृतिक लाभ एवं वेतन संरक्षण हेतु प्रदान किया गया था। इस प्रकार उक्त सभी 06 कनिष्ठ अभियन्ताओं को अपर सहायक अभियंता के पद पर समय पूर्व (संलग्न तालिका-1 के अनुसार) पदोन्नत किए जाने एवं पदोन्नति के पद का वेतन अनुमन्य किये जाने के कारण उनकी पदोन्नति की दिनांक से 31.10.2020 तक की अवधि में **कुल ₹ 1.96 लाख** की धनराशि का वेतन व महँगाई भत्ते सहित अधिक भुगतान किया गया है।

उक्त प्रकरण के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। खंड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है। अत: समय पूर्व पदोन्नति दिये जाने के के कारण कार्मिकों को ₹1.96 लाख का वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक-1

तालिका-1

क्रम सं0	**नाम/ पदनाम**	**नियुक्ति तिथि**	**नियमानुसार चयन वर्ष के आधार पर पदोन्नति की तिथि**	**पदोन्नति की वास्तविक तिथि**	**अधिक भुगतानकी गयी कुल धनराशि (₹ में)**
01.	श्री सुशील सेमवाल, अपर सहा0 अभि0	28.09.2013 (23.08.12 से 27.09.13 तक सिंचाई विभाग में)	01.07.2017	22.08.2015	43176
02.	श्री हेमन्त कुमार नौटियाल, अपर सहा0 अभि0	26.08.13 (13.10.2011 से 24.08.13 तक सिंचाई विभाग में)	01.07.2017	14.10.2014	53111
03.	श्री भूपेन्द्र सिंह, अपर सहा0 अभि0	30.08.2013 (13.10.11 से 29.08.13 तक सिंचाई विभाग में)	01.07.2017	14.10.2014	53111
04.	श्री हरीशचन्द्र बिजल्वाण, अपर सहा0 अभि0	13.10.2011	01.07.2015	12.10.2014	14005
05.	श्री रवीन्द्र डिमरी, अपर सहा0 अभि0	17.08.2013	01.07.2017	16.08.2016	15480
06.	श्री दीपक सिंह, अपर सहा0 अभि0	03.08.2013	01.07.2017	03.08.2016	16911
				योग-	**195794**

(अधिक भुगतानित राशि के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा की गयी गणना हेतु calculation sheet संलग्न है। उक्त गणना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए वेतन एवं भत्तों के भुगतान संबंधी अभिलेखों/ साक्ष्यों एवं कार्मिक की सेवा पुस्तिका में दर्ज मूलवेतन की प्रविष्टियों एवं यथा-समय लागू मंहगाई भत्ते की दरों के आधार पर की गई है।)

STAN

प्रस्तर-1: ` 1336.44 लाख के निर्माण कार्य बिना बीमा कराये प्रारम्भ किए जाने का प्रकरण ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी Standard biding document 2015 के अनुसार **Insurance 13.1** The Contractor at his cost shall provide, in the joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the Start Date to the date of completion, in the amounts and deductibles stated in the Contract Data for the following events which are due to the Contractor's risks:

(a) loss of or damage to the Works, Plant and Materials;

(b) loss of or damage to Equipment;

(c) loss of or damage to property (except the Works, Plant, Materials, and Equipment) in connection with the Contract; and

(d) Personal injury or death.

13.2 Insurance policies and certificates for insurance shall be delivered by the Contractor to the Engineer for the Engineer's approval before the Start Date.

13.3 (a) The Contractor at his cost shall also provide, in the joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the date of completion to the end of Defects Liability Period, in the amounts and deductibles stated in the Contract Data for personal injury or death which are due to the Contractor's risks:

13.3 (b) Insurance policies and certificates for insurance shall be delivered by the Contractor to the Engineer for approval before the completion date/start date.

13.4 Alterations to the terms of insurance shall not be made without the approval of the Employer.

13.5 Both parties shall comply with any conditions of the insurance policies.

उपरोक्त नियमो के अनुपालन मे कार्यो का बीमा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि तक वैध होना आवश्यक है जिससे कि निर्माण के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति का भुगतान शासन को न करना पड़े क्षति का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाए । लेखापरीक्षा मे पाया गया कि- निम्नलिखित कार्य निर्माणाधीन है परंतु बीमा नहीं कराया गया था लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि बीमा प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है परंतु लेखापरीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे । उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व बीमा विभाग को उपलब्ध होना चाहिए था । यदि ठेकेदार ने नहीं कराया तो विभाग द्वारा ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली राशि से कटोती करके बीमा किया जाना चाहिए था ।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि ` लाख मे

1	गहार से पलायाष्टाला मोटर मार्ग स्टेज -1	666.19	389.97
2	दागर कोठार पाली गोदी मोटर मार्ग	670.25	396.08

अत: ` 1336.44 लाख के निर्माण कार्य बिना बीमा कराये प्रारम्भ किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण ।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
56/2018-19	-	1,2,3,4	1,

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			अनुपालन आख्या उच्च अधिकारियों के माध्यम से प्रेषित की जाएगी ।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, पी एम जी एस वाई लो नि वि, कीर्तिनगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र0 सं0	नाम	पदनाम
(1)	श्री जगदंबा प्रशाद रतूड़ी	अधिशासी अभियंता

4. **विगत संप्रेक्षा से अब तक कोई भी खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध नहीं रहे थे।**

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0, लो0 नि0 वि0, कीर्तिनगर** को इस आशय से प्रेषित की गई है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, ए.एम.जी.-II (Non-PSU), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-2481095 को प्रेषित किया जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी.-II (Non-PSU)